Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2026, E-Journal, Vol. I, Issue LIII (53), ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र में वंचित वर्ग के विद्यार्थियों क सन्दर्भ में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2011 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण का अध्ययन

संगीता सुवालका*

* शोधार्थी (शिक्षा संकाय) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर(राज.) भारत

शोध सारांश – राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) 2011 के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषकर वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के संदर्भ में। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण का तुलनात्मक विश्लेषण करना है। अध्ययन में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों के 40 प्रधानाध्यापकों एवं 80 शिक्षकों को उद्देश्यपूर्ण नमूना विधि से चयनित किया गया। आंकड़ों का संकलन स्व-निर्मित प्रश्नावली के माध्यम से किया गया तथा विश्लेषण के लिए प्रतिशत एवं काई-वर्ग परीक्षण का उपयोग किया गया।अध्ययन में नामांकन, अभिभावक सम्पर्क, शिक्षण-अधिगम व्यवस्था एवं अधिगम स्तर जैसे प्रमुख आयामों का विश्लेषण किया गया। परिणामों से ज्ञात हुआ कि नामांकन (X^2=24.46) एवं शिक्षण-अधिगम व्यवस्था (X^2=5.00) के संबंध में दोनों समूहों के प्रत्यक्षण में सार्थक अंतर पाया गया, जबकि अभिभावक सम्पर्क (X^2= 1.96) एवं अधिगम स्तर (X^2=4.63) में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया। समग्र रूप से सभी आयामों में प्रत्यक्षण का स्तर 'उच्च' पाया गया, तथा शिक्षकों का दृष्टिकोण प्रधानाध्यापकों की अपेक्षा अधिक सकारात्मक पाया गया।अत: निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि जनजातीय क्षेत्र में वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के सन्दर्भ में RTE अधिनियम का क्रियान्वयन संतोषजनक है, किन्तु कुछ आयामों में सुधार की आवश्यकता है।

शब्द कुंजी – शिक्षा का अधिकार अधिनियम, नामांकन, अभिभावक सम्पर्क, शिक्षण-अधिगम व्यवस्था, अधिगम स्तर, प्रत्यक्षण।

प्रस्तावना – शिक्षा को किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन का आधारभूत साधन माना जाता है। भारत जैसे विविधतापूर्ण एवं असमानताओं से युक्त लोकतांत्रिक देश में समावेशी विकास की प्राप्ति हेतु शिक्षा तक समान एवं सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा न केवल व्यक्ति के बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करती है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, जागरूकता एवं सशक्तिकरण की प्रक्रिया को भी सुदृढ़ बनाती है। विशेष रूप से वंचित एवं जनजातीय समुदायों के संदर्भ में शिक्षा एक परिवर्तनकारी साधन के रूप में कार्य करती है, जो उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा Right to Education Act 2009 अधिनियम अधिनियमित किया गया, जिसे वर्ष 2010 से प्रभावी किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि: शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना है। अधिनियम में सार्वभौमिक नामांकन सुनिश्चित करने, विद्यालयों की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण, शिक्षक-छात्र अनुपात के निर्धारण, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति तथा वंचित वर्गों के लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। राजस्थान राज्य में इस अधिनियम के प्रावधानों को वर्ष 2011 से प्रभावी रूप से लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक असमानताओं को कम करना है।तथापि, इस अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन विशेष रूप से जनजातीय बहुल क्षेत्रों में एक चुनौतीपूर्ण कार्य बना हुआ है। राजस्थान केउदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा प्रतापगढ़ जैसे जनजातीय क्षेत्रों में भौगोलिक दुर्गमता, आर्थिक अभाव, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रतिबंध एवं अभिभावकों की निम्न शैक्षिक पृष्ठभूमि जैसी समस्याएँ शिक्षा के सार्वभौमीकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं। यद्यपि नामांकन दरों में वृद्धि हुई है, तथापि अधिगम उपलब्धियों, शिक्षण की गुणवत्ता एवं अभिभावक सहभागिता से संबंधित चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

विद्यालय स्तर पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक की भूमिका केंद्रीय महत्व रखती है। प्रधानाध्यापक जहाँ प्रशासनिक नेतृत्व, संसाधन प्रबंधन एवं नीतिगत क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं, वहीं शिक्षक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के प्रत्यक्ष संवाहक होते हैं। इन दोनों की भूमिकाओं में अंतर होने के कारण उनके प्रत्यक्षण (Perception) में भी भिन्नता संभावित है। प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के चार प्रमुख आयामों नामांकन, अधिगम स्तर, अधिगम व्यवस्था एवं अभिभावक सम्पर्क के संदर्भ में प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण का तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

उद्देश्य – प्रस्तुत शोध पत्र राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में वंचित वर्ग के विद्यार्थियों हेतु आरटीई अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के अंतर्गतनामांकन, अभिभावक सम्पर्क, शिक्षण-अधिगम व्यवस्था एवं अधिगम स्तरजैसे आयामों का अध्ययन करता है। इस शोध पत्र के प्रमुख

उद्देश्य –

1. आरटीई अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण का अध्ययन करना तथा
2. इन अभिधारकों के प्रत्यक्षण का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शून्य परिकल्पनाएँ – इसके साथ–साथ शोध कार्य में निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाएँ निर्मित की गई हैं :

1. नामांकन के संबंध में प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
2. अभिभावक सम्पर्क के संबंध में दोनों समूहों के प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
3. शिक्षण–अधिगम व्यवस्था के संबंध में दोनों समूहों के प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
4. अधिगम स्तर के संबंध में दोनों समूहों के प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

विधितन्त्र – प्रस्तुत शोध अध्ययन शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2011 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संदर्भ में प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण का तुलनात्मक विश्लेषण करने हेतु किया गया है। यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं सर्वेक्षण विधिपर आधारित है, जिसके माध्यम से वास्तविक स्थिति का यथार्थ आकलन किया गया। प्रस्तुत शोध कार्य राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र से उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं प्रतापगढ़ जिलों पर सम्पन्न किया गया हैं। क्षेत्र से बराबर संख्या में शहरी एवं ग्रामीण दोनों प्रकार के विद्यालयों को सम्मिलित किया गया। अध्ययन क्षेत्र के निजी विद्यालयों से 40 प्रधानाध्यापक एवं 80 शिक्षकोंका चयन उद्देश्यपूर्ण विधि द्वारा किया गया। आंकड़ों के संग्रहण हेतु स्व–निर्मित प्रश्नावलीका उपयोग किया गया, जिसमें नामांकन, अभिभावक सम्पर्क, शिक्षण–अधिगम व्यवस्था एवं अधिगम स्तर आयाम से संबंधित प्रश्न शामिल थे। आंकड़ों का संग्रहण प्रत्यक्ष क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से किया गया, जिसमें शोधार्थी द्वारा विद्यालयों में जाकर उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित कर प्रश्नावली भरवाई गई। प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण सांख्यिकीय विधियों के माध्यम से किया गया, जिसमें प्रारंभिक विश्लेषण के लिए प्रतिशत एवं औसत प्रतिशत का उपयोग किया गया तथा दोनों समूहों के प्रत्यक्षण में अंतर की सार्थकता ज्ञात करने हेतु काई–वर्ग परीक्षण (Chi Square Test) का प्रयोग किया गया तथा 0.05 स्तर पर सार्थकता का निर्धारण किया गया।

विश्लेषण – राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र में वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के संबंध में प्रधानाध्यापकोंएवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण के प्रतिशत को तालिका 1 में दर्शाया गया है।

तालिका 1 (अन्तिम पृष्ठ पर देखे)

दत्त विश्लेषण एवं व्याख्या : तालिका 1 में दर्शाए गये आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामांकनआयाम के अंतर्गत शिक्षकों का प्रत्यक्षण प्रधानाध्यापकों की अपेक्षा अधिक उच्च है। जहाँ शिक्षकों में 'हमेशा' का औसत प्रतिशत 86.25 पाया गया, वहीं प्रधानाध्यापकों में यह 53.13 प्रतिशत है। विशेष रूप से नामांकन लक्ष्य प्राप्ति, लैंगिक अनुपात की समानता तथा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के प्रवेश के संदर्भ में दोनों समूहों के प्रत्यक्षण में अंतर परिलक्षित होता है, जो इस आयाम में क्रियान्वयन की असमानताओं एवं व्यावहारिक चुनौतियों की ओर संकेत करता है।अभिभावक सम्पर्कके आयाम में दोनों समूहों का प्रत्यक्षण उच्च स्तर का पाया गया, तथापि शिक्षकों का औसत प्रतिशत (85.63%) प्रधानाध्यापकों (76.25%) से अधिक है। अभिभावकों से निरंतर एवं टेलिफोनिक सम्पर्क, अभिभावक सम्मेलनों के आयोजन तथा विद्यालय विकास समिति की बैठकों के संचालन जैसे पक्षों में शिक्षकों का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक दृष्टिगोचर होता है। यह इंगित करता है कि विद्यालय एवं अभिभावकों के मध्य समन्वय स्थापित करने में शिक्षकों की सहभागिता अधिक सक्रिय एवं प्रभावी है, जबकि प्रधानाध्यापक अपेक्षाकृत कुछ सीमाओं का अनुभव करते हैं।

शिक्षण–अधिगम व्यवस्थाके संदर्भ में दोनों समूहों का प्रत्यक्षण अत्यंत उच्च स्तर का है, जहाँ शिक्षकों का औसत प्रतिशत 96.88 तथा प्रधानाध्यापकों का 85.83 पाया गया। ICT उपकरणों के उपयोग, शिक्षकों के लोकतांत्रिक व्यवहार, कक्षा में अंत:क्रिया, सहगामी गतिविधियों में सहभागिता तथा उपचारात्मक शिक्षण एवं मार्गदर्शन सत्रों के आयोजन जैसे सभी पक्षों में सकारात्मक प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। यह स्थिति दर्शाती है कि कक्षा–कक्ष स्तर पर शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो रहा है।

अंतत:अधिगम स्तरके आयाम में भी शिक्षकों (91.88%) का प्रत्यक्षण प्रधानाध्यापकों (82.50%) की अपेक्षा अधिक उच्च पाया गया। परीक्षा परिणामों की संतोषजनकता तथा विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन के संदर्भ में दोनों समूहों की धारणा अनुकूल है, तथापि शिक्षकों का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक है। समग्रत:निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि जनजातीय क्षेत्रों में RTE अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन संतोषजनक स्तर पर है, किन्तु शिक्षकों का प्रत्यक्षण प्रधानाध्यापकों की तुलना में अधिक उच्च पाया गया, जो उनके प्रत्यक्ष अनुभव एवं कक्षा–स्तरीय सहभागिता का द्योतक है।

प्रत्यक्षण का स्तर – राजस्थान के जनजातीय क्षेत्र में वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रधानाध्यापकोंएवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण के औसत प्रतिशत एवं उनके स्तर का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 2 : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के संबंध में प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत एवं प्रत्यक्षण का स्तर

क्र.	आयाम के पक्ष	प्रधानाध्यापक (N=40)		शिक्षक (N=80)	
		प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत	प्रत्यक्षण का स्तर	प्रत्यक्षण का औसत प्रतिशत	प्रत्यक्षण का स्तर
1.	नामांकन	88.76	उच्च	93.13	उच्च
2.	अभिभावक सम्पर्क	88.75	उच्च	96.26	उच्च
3.	शिक्षण–अधिगम व्यवस्था	100.00	उच्च	100.00	उच्च
4.	अधिगम स्तर	91.25	उच्च	100.00	उच्च

आंकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित सभी आयामों नामांकन, अभिभावक सम्पर्क, शिक्षण–अधिगम व्यवस्था तथा अधिगम स्तरमें दोनों समूहों का प्रत्यक्षण 'उच्च स्तर' का है, जो यह

दर्शाता है कि अधिनियम का क्रियान्वयन समग्र रूप से संतोषजनक एवं प्रभावी है। नामांकन के संदर्भ में प्रधानाध्यापकों का औसत प्रतिशत 88.76 तथा शिक्षकों का 93.13 पाया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि दोनों समूह इस प्रक्रिया को सफल मानते हैं, हालांकि शिक्षकों का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक सकारात्मक है। इसी प्रकार अभिभावक सम्पर्क के आयाम में प्रधानाध्यापकों का औसत 88.75 तथा शिक्षकों का 96.26 है, जो यह दर्शाता है कि विद्यालयों में अभिभावकों के साथ संपर्क एवं सहभागिता का स्तर उच्च है, किंतु शिक्षक इसे अधिक सक्रिय एवं प्रभावी रूप में अनुभव करते हैं।

शिक्षण–अधिगम व्यवस्था के आयाम में दोनों समूहों का औसत प्रतिशत सर्वोच्च पाया गया, जो इस तथ्य को रेखांकित करता है कि इस क्षेत्र में अधिनियम के प्रावधानों का क्रियान्वयन अत्यंत प्रभावी एवं संतोषजनक है तथा प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के बीच पूर्ण सहमति विद्यमान है। अधिगम स्तर के संदर्भ में प्रधानाध्यापकों का औसत प्रतिशत 91.25 तथा शिक्षकों का सर्वोच्च पाया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि दोनों समूह विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को उच्च मानते हैं, हालांकि शिक्षक अधिक आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। समग्र रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 का क्रियान्वयन उच्च स्तर पर हो रहा है। साथ ही, सभी आयामों में शिक्षकों का औसत प्रतिशत प्रधानाध्यापकों की तुलना में अधिक पाया जाना यह इंगित करता है कि शिक्षक अधिनियम के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी एवं संतोषजनक मानते हैं, जबकि शिक्षण–अधिगम व्यवस्था में प्राप्त शत–प्रतिशत सहमति इस आयाम की विशेष सफलता को दर्शाती है।

परिकल्पना परीक्षण

1. प्रथम शून्य परिकल्पना (H_0): 'नामांकन के संबंध में प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं है'।नामांकन के सम्बन्ध में संगणित काई वर्ग परीक्षण मान (X^2 = 24.46) सारणी मान (0.05स्तर पर 5.991) से अधिक है, इसलिए प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण में नामांकन के संबंध में सार्थक अंतर पाया गया तथा शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

2. द्वितीय शून्य परिकल्पना (H_0):'अभिभावक सम्पर्क के संबंध में दोनों समूहों के प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं है'।अभिभावक सम्पर्क के संबंध संगणित काई वर्ग परीक्षण मान (X^2= 1.96) सारणी मान (0.05 स्तर पर 5.991) से कम है, इसलिए प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण में अभिभावक सम्पर्क के संबंध में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया तथा शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

3. तृतीय शून्य परिकल्पना (H_0):'शिक्षण–अधिगम व्यवस्था के संबंध में दोनों समूहों के प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं है'।शिक्षण–अधिगम व्यवस्था के संबंध में संगणित काई वर्ग परीक्षण मान (X^2= 5.00) सारणी मान (0.05 स्तर पर 3.841) से अधिक है, इसलिए प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण में शिक्षण–अधिगम व्यवस्था के संबंध में सार्थक अंतर पाया गया तथा शून्य परिकल्पना अस्वीकार की जाती है।

4. चतुर्थ शून्य परिकल्पना (H_0): 'अधिगम स्तर के संबंध में दोनों समूहों के प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं है'।अधिगम स्तर के संबंध में संगणित काई वर्ग परीक्षण मान(X^2 = 4.63) सारणी मान (0.05 स्तर पर 5.991) से कम है, इसलिए प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों के प्रत्यक्षण में अधिगम स्तर के संबंध में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया तथा शून्य परिकल्पना स्वीकार की जाती है।

निष्कर्ष – प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान के जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 के प्रावधानों का क्रियान्वयन समग्र रूप से प्रभावी एवं संतोषजनक स्तर पर हो रहा है। अध्ययन के सभी आयामों – नामांकन, अभिभावक सम्पर्क, शिक्षण–अधिगम व्यवस्था एवं अधिगम स्तरमें प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों का प्रत्यक्षण उच्च स्तर का पाया गया, जो अधिनियम की उपयोगिता एवं प्रभावशीलता को दर्शाता है।काई–वर्ग परीक्षण के परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि नामांकन एवं शिक्षण–अधिगम व्यवस्था के संबंध में दोनों समूहों के प्रत्यक्षण में सांख्यिकीय रूप से सार्थक अंतर विद्यमान है। यह संकेत करता है कि इन आयामों में क्रियान्वयन के अनुभव एवं व्यावहारिक चुनौतियाँ दोनों समूहों द्वारा भिन्न रूप में अनुभव की जाती हैं। विशेष रूप से शिक्षकों का दृष्टिकोण अधिक सकारात्मक पाया गया, जो उनके प्रत्यक्ष कक्षा–स्तरीय अनुभव को दर्शाता है, जबकि प्रधानाध्यापक प्रशासनिक दृष्टिकोण से कुछ सीमाओं को अनुभव करते हैं।इसके विपरीत, अभिभावक सम्पर्क एवं अधिगम स्तर के संबंध में दोनों समूहों के प्रत्यक्षण में कोई सार्थक अंतर नहीं पाया गया, जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इन आयामों में विद्यालयों की कार्यप्रणाली एवं अनुभव अपेक्षाकृत समान हैं।समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि RTE अधिनियम का क्रियान्वयन जनजातीय क्षेत्रों में सकारात्मक दिशा में अग्रसर है, किन्तु नामांकन की वास्तविक गुणवत्ता एवं शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इसके लिए नीति–निर्माताओं, प्रशासकों एवं शिक्षकों के बीच समन्वित प्रयास आवश्यक हैं, ताकि अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. एन.सी.ई.आर.टी. (1969). 'सर्वे इन एजुकेशन' नई दिल्ली: एनसीईआरटी।
2. कपिल, एच. के. (2012). 'अनुसंधान विधियाँ' आगरा: एच. पी. भार्गव बुक हाउस।
3. गुप्ता, बी. एन. (2018ह2019). 'सांख्यिकी' आगरा: एस. बी. पी. डी. प्रकाशन।
4. प्रसाद, लोकेश के. (2008). 'अनुसंधान पद्धतिशास्त्र' नई दिल्ली: कावेरी बुक्स।
5. भारत सरकार। (2009). 'बच्चों का नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009' नई दिल्ली: मानव संसाधन विकास मंत्रालय।
6. महरोत्रा, ममता, एवं शर्मा, महेश. (2014). 'शिक्षा का अधिकार' नई दिल्ली: प्रभात प्रकाशन।
7. राजस्थान सरकार। (2011). 'शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 से संबंधित राजस्थान राजपत्र' जयपुर: राजस्थान सरकार।
8. शर्मा, आर. ए. (2011). 'शिक्षा अनुसन्धान के मूल तत्त्व एवं शोध प्रक्रिया' मेरठ: आर. लाल डिपो।
9. https://academicjournals.org
10. https://shodhganga.inflibnet.ac.in
11. https://tad.rajasthan.gov.in/pages/sm/department-

page/23512/462
12. https://tribal.nic.in
13. https://www.ciil-ebooks.net
14. https://www.education.gov.in
15. https://www.researchgate.net
16. https://ncert.nic.in/

तालिका 1 : आरटीई अधिनियम के प्रावधानोंके क्रियान्वयन के संबंध में प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों का प्रत्यक्षण (प्रतिशत)

आयाम/ आयाम के पक्ष		प्रधानाध्यापक (N=40)			शिक्षक (N=80)		
		हमेशा	कभी-कभी	कभी नहीं	हमेशा	कभी-कभी	कभी नहीं
नामांकन	नामांकन लक्ष्य प्राप्ति	60.00	40.00	0.00	97.50	2.50	0
	सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व	95.00	5.00	0.00	95.0	5.00	0
	विद्यार्थियों में लैंगिक अनुपात समान	30.00	40.00	30.00	92.5	7.5	0
	विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का प्रवेश	27.50	57.50	15.00	60.00	12.50	27.5
	औसत प्रतिशत	53.13	35.63	11.25	86.25	6.88	6.88
अभिभावक सम्पर्क	अभिभावकों से निरंतर सम्पर्क	95.00	5.00	0.00	78.75	21.25	0.00
	अभिभावकों से टेलिफोनिक सम्पर्क	80.00	15.00	5.00	90.00	10.00	0.00
	अभिभावक सम्मेलन का आयोजन	62.50	22.50	15.00	92.50	0.00	7.50
	विद्यालय विकास समिति की बैठकों का आयोजन	67.50	7.50	25.00	81.25	11.25	7.50
	औसत प्रतिशत	76.25	12.50	11.25	85.63	10.63	3.75
शिक्षण-अधिगम व्यवस्था	शिक्षण में ICT उपकरणों का उपयोग	57.50	42.50	0.00	98.75	1.25	0.00
	शिक्षकों का व्यवहार लोकतांत्रिक	97.50	2.50	0.00	98.75	1.25	0.00
	शिक्षकों की अंत:क्रिया संतोषजनक	95.00	5.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	विभिन्न पाठ्य सहगामी गतिविधियों में सहभागिता	97.50	2.50	0.00	93.75	6.25	0.00
	उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था	80.00	20.00	0.00	95.00	5.00	0.00
	मार्गदर्शन सत्र का भी आयोजन	87.50	12.50	0.00	95.00	5.00	0.00
	औसतप्रतिशत	85.83	14.17	0.00	96.88	3.13	0.00
अधिगम स्तर	परीक्षा परिणाम संतोषजनक	87.50	7.50	5.00	91.25	8.75	0.00
	विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम संतोषजनक	77.50	10.00	12.50	92.50	7.50	0.00
	औसत प्रतिशत	82.50	8.75	8.75	91.88	8.13	0.00

****